

34/25

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक-16/10/25

ग्रामीण सेवा शिप्टर

कैम्प काट

2025/578

अरविन्द कुमार बनाम सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 16/10/25

पटवारी हल्का शाहर भू अभिलेख निरीक्षक शाहर की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम शाहर के खाता संख्या 90 में निम्नानुसार शुद्ध किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम नाम	का	खाता संख्या	खराश नम्बर	अशुद्ध प्रतिष्ठि	शुद्धि उपरान्त प्रतिष्ठि	वि विवरण
01	शाहर		90		पूर्विया (जाती)	राजपूत (जाती)	
02							
03							
04							

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प काट शाहर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि ऊर्वतानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

02. पटवारी, पटवार हल्का शाहर

03. प्रार्थी अरविन्द कुमार



उपखण्ड अधिकारी
नादौती